

RPSC SI री-एग्जाम 2021 पहली बार बायोमेट्रिक एंट्री, जानें नए नियम

वर्षिय सूची (Table of Contents):

- >> SI भर्ती री-एग्जाम-2021 राजस्थान लोक सेवा आयोग का ऐतिहासिक कदम...
- >> SI भर्ती री-एग्जाम में नया बदलाव पहली बार फेस रकिंगनशिन और थंब इम्प्रेशन से एंट...
- >> 2 लाख 35 हजार कैंडिडेट्स पर असर जानिए परीक्षा का नया सक्रियोरटी प्रोटोकॉल...
- >> एग्जाम शेड्यूल और सेंटर्स शफ्ट टाइमिंग और एडमिट कार्ड से जुड़े फैक्ट्स...
- >> कैंडिडेट्स के लिए गाइडलाइन परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स और नियम...
- >> री-एग्जाम का कारण पारदर्शी परीक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन की तैयारी...
- >> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)...

SI भर्ती री-एग्जाम-2021: राजस्थान लोक सेवा आयोग का ऐतिहासिक

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली उपनरीक्षक (SI) और प्लाटून कमांडर (री-एग्जाम)-2021 परीक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। परीक्षा की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की धांधली को रोकने के लिए आयोग ने कड़े कदम उठाए हैं। 20 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली इस परीक्षा में राजस्थान के इतिहास में पहली बार फेस रकिंगनशिन (चेहरे की पहचान) और थंब इम्प्रेशन (अंगूठे का निशान) आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन लागू किया जा रहा है। इसके साथ ही परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए कई नए नियम और सख्त गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।

SI भर्ती री-एग्जाम में नया बदलाव: पहली बार फेस रकिंगनशिन और

राजस्थान में सरकारी भर्तियों को पारदर्शी बनाने की दृष्टि से RPSC ने एक बड़ा बदलाव किया है। SI और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा-2021 के इस री-एग्जाम में प्रवेश द्वार पर ही हाई-टेक सक्रियोरटी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले हर एक अभ्यर्थी का फेस रकिंगनशिन-थंब इम्प्रेशन आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। इसके बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी।

इस नई प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिस अभ्यर्थी ने आवेदन किया है, केवल वही परीक्षा दे रहा हो (डमी कैंडिडेट्स की रोकथाम)। बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ-साथ ओएमआर (OMR) शीट में पांचवें वकिल्पका नियम भी इस परीक्षा में लागू रहेगा, जिसे आयोग ने हाल ही की परीक्षाओं में अनिवार्य किया है। अभ्यर्थियों को किसी भी प्रश्न को खाली छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। यदि उत्तर नहीं देना चाहते हैं, तो उन्हें पांचवां वकिल्प अनिवार्य रूप से भरना होगा।

2 लाख 35 हजार कैंडिडेट्स पर असर: जानिए परीक्षा का नया सक्रियो

इस भरती प्रक्रिया के जरिए कुल 859 पदों पर उपनरीक्षक और प्लाटून कमांडर की नियुक्ति की जानी है। हालांकि, इस री-एग्जाम में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में पछिली बार की तुलना में भारी कमी आई है। आयोग के आंकड़ों के अनुसार, इस परीक्षा में केवल 2 लाख 35 हजार कैंडिडेट्स ही शामिल होंगे (कुछ अधिकारिक बयानों में यह आंकड़ा लगभग 2 लाख 30 हजार भी बताया गया है)।

>> आवेदन और उपस्थिति का पछिला रिकॉर्ड: 3 फरवरी 2021 को जारी किए गए मूल वजिापन के बाद, कुल 7 लाख 97 हजार अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। 13 से 15 सितंबर 2021 के बीच हुई मूल परीक्षा में इनमें से 3 लाख 83 हजार 97 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे।

>> कैंडिडेट्स की संख्या कम क्यों हुई?: पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द होने के बाद, 8 मई 2025 को यह तय किया गया था कि केवल वे ही अभ्यर्थी री-एग्जाम दे सकेंगे जो पछिली बार उपस्थित हुए थे। हालांकि, बाद में आयोग ने सभी आवेदकों को परीक्षा में बैठने की छूट दे दी। इसके लिए अभ्यर्थियों से आवेदन पत्रों में सुधार और अपडेट के जरिए सहमति मांगी गई थी। लेकिन ज्यादातर अभ्यर्थियों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई, जिसके परिणामस्वरूप केवल 2.35 लाख अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा देने की सहमति जताई है।

>> सगिल डे एग्जाम का फायदा: पहले यह परीक्षा तीन दिनों में आयोजित की गई थी, लेकिन अब कैंडिडेट्स की संख्या कम होने के कारण यह परीक्षा एक ही दिन (20 सितंबर 2026) में पूरी कर ली जाएगी। एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में परीक्षा होने से नॉर्मलाइजेशन (Normalization) की प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे परीक्षा का रजिस्ट्रार भी बहुत जल्द घोषित किया जा सकेगा।

एग्जाम शेड्यूल और सेंटर्स: शिफ्ट टाइमिंग और एडमिट कार्ड से ज

RPSC ने परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा के लिए आवंटित सेंटर के जिले (District Location) की जानकारी अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अभ्यर्थी अपना एसएसओ (SSO) पोर्टल लॉगिन करके यह चेक कर सकते हैं कि उनका परीक्षा केंद्र किस जिले में आया है। राजस्थान पुलिस SI टेलीकॉम परीक्षा एडमिट कार्ड जारी होने जैसी प्रक्रियाओं की तरह ही, इस परीक्षा के एडमिट कार्ड भी समय पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

कैंडिडेट्स के लिए गाइडलाइन: परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य डॉक्य

चेककि को सरवत बनाने के लिए पहचान दस्तावेजों को लेकर बहुत स्पष्ट और कड़े नियम बनाए गए हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा वाले दिन निम्नलिखित नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा:

>> नया कलर आधार कार्ड: अभ्यर्थियों को अपनी पहचान साबित करने के लिए परीक्षा सेंटर पर नया कलर आधार कार्ड

(Aadhaar Card) लेकर आना होगा।

>> वैकल्पिक फोटो आईडी: यदि किसी अभ्यर्थी के मूल आधार कार्ड पर लगी फोटो पुरानी है, धुंधली है या स्पष्ट रूप से पहचानी नहीं जा सकती, तो उन्हें अन्य मूल (Original) फोटो युक्त पहचान-पत्र लाना होगा। इन दस्तावेजों में मतदाता पहचान-पत्र (Voter ID), पासपोर्ट (Passport), या ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) शामिल हैं। ध्यान रहे कि इन वैकल्पिक दस्तावेजों में भी नवीनतम और रंगीन (कलर) स्पष्ट फोटो होनी चाहिए।

>> एडमिट कार्ड पर फोटो: अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने प्रवेश-पत्र (Admit Card) पर भी नई और स्पष्ट कलर फोटो ही चपिकाएं।

चेतावनी: यदि अभ्यर्थी के पास स्पष्ट मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र नहीं पाया जाता है, तो उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अन्य प्रतर्बिधित सामग्री परीक्षा हॉल में पूरी तरह से वर्जित रहेगी।

री-एग्जाम का कारण: पारदर्शी परीक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन

उपनिरीक्षक (SI) भर्ती-2021 की पछिली परीक्षा को बड़े पैमाने पर पेपर लीक और नकल गरीब के पकड़े जाने के बाद रद्द करना पड़ा था। इस कारण से प्रशासन और पुलिस महकमा इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है ताकि योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ कोई खलिवाड़ न हो।

सख्त कानूनी प्रावधान: इस परीक्षा में अनुचित साधन (नकल) अपनाने या किसी भी प्रकार के अनुचित कृत्य में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्याप) अधिनियम-2022 के तहत बेहद कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस कानून के तहत:

>> आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा हो सकती है।

>> 10 करोड़ रुपए तक का भारी भ्रकम जुर्माना लगाया जा सकता है।

>> दोषी पाए जाने पर व्यक्ति की चल-अचल संपत्ति कुर्क (जब्त) की जा सकती है।

आयोग की अपील और हेल्पलाइन: RPSC ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा पास कराने का झांसा देने वाले किसी भी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में बिल्कुल न आएं। यदि कोई भी व्यक्ति रश्वत की मांग करता है या प्रलोभन देता है, तो अभ्यर्थी प्रमाण सहित इसकी सूचना जांच एजेंसी और आयोग के कंट्रोल रूम नंबर: 0145-2635200, 0145-2635212 एवं 0145-2635255 पर तुरंत दे सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा उपनिरीक्षक (SI) प्लाटून कमांडर री-एग्जाम 20 सितंबर 2026 को आयोजित

किया जाएगा। इस बार यह परीक्षा एक ही दिन में संपन्न कराई जाएगी।

अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए नया कलर आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। यदि आधार कार्ड की फोटो पुरानी या अस्पष्ट है, तो नवीनतम रंगीन फोटो वाला वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस लाना होगा।

SI री-एग्जाम के एडमिटि कार्ड 17 सितंबर 2026 को जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने एडमिटि कार्ड RPSC की आधिकारिक वेबसाइट या अपने SSO पोर्टल पर लॉगिन करके डाउनलोड कर सकेंगे।

बायोमेट्रिक सत्यापन (फेस रकिग्नशन और थंब इम्प्रेशन) की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। ध्यान रहे, परीक्षा शुरू होने के 60 मिनट पहले एंट्री पूरी तरह बंद कर दी जाएगी।